प्रेस–विज्ञप्ति   दिनांक 23.06.2026

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

'भिलाई निगम की कार्रवाईः सिंगल यूज प्लास्टिक और सड़क बाधा पर 18 हजार रुपये जुर्माना'

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जोन–01 स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वार्ड क्रमांक 04 कोसा नगर एवं वार्ड क्रमांक 17 आकाशगंगा क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर चालानी कार्रवाई की।

अभियान के दौरान सड़क पर सामग्री रखकर आवागमन बाधित करने वाले प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया। इसमें मौर्या ट्रेडर्स पर 4 हजार रुपये, सतगुरू ट्रेडर्स पर 4 हजार रुपये तथा अभिषेक गुप्ता पर 2 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एवं भंडारण पाए जाने पर नंदकुमार साह से 1 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

इसी तरह सीएम पोर्टल के प्राप्त आवेदन के साथ वार्ड क्रमांक 18 कांट्रेक्टर कालोनी चौहान प्लाजा कॉम्प्लेक्स में संचालित आनंद गुप्ता द्वारा चार्ट सेंटर का संचालन किया जा रहा है । निरीक्षण में सिंगल यूज प्लास्टिक ग्लास एवम् अनुज्ञप्ति लाइसेंस एवं साफ सफाई सही नहीं पाए जाने पर 7000 का चलानी कारवाही किया गया साथ ही बिना लाइसेंस के दुकान संचालित नहीं करने की समझाईस दी गई है।

इस प्रकार निगम की टीम ने कुल 18 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई की। निगम अधिकारियों ने संबंधित व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में सड़क बाधा उत्पन्न करने या सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने नागरिकों एवं व्यापारियों से शहर को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के अभियान में सहयोग करने की अपील की है।

संलग्न–फोटो   जनसम्पर्क अधिकारी